IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-प्रथम

नीलगिरि कॉम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

मानक पथप्रदर्शक Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांकः- 199 /वा०नि०-1/पूर्णता प्रमाण पत्र **दिनांक-28/01/2022**

सेवा में,

मैसर्स भारत नगर हाउसिंग,
द्वारा श्री शोभिक गोयल,
निवासी-106, नेहरू नगर,
आगरा।

विषयः- परिषद द्वारा संचालित सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर-15 में स्थित एन्थम पॉकेट-ए में मैसर्स भारत नगर हाउसिंग के तलपट मानचित्र (ब्लॉक-ए,बी, सी एवं डी) के आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या-1099/दिनांक-01.10.2021 द्वारा परिषद द्वारा संचालित सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर-15 में एन्थम पॉकेट-ए में मैसर्स भारत नगर हाउसिंग के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु स्थल सत्यापन करते हुये प्रस्ताव प्रेषित किया है। उक्त तलपट मानचित्र की स्वीकृति कार्यालय पत्र संख्या-728/मु.वा.नि./वा.नि.-1/ले-आउट/दिनांक-15.03.2021 के माध्यम से दी गयी है, जिसकी वैधता दिनांक-16.05.2024 तक है।

उक्त के क्रम में प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण किया गया एवं स्वीकृति हेतु उच्च स्तरीय समिति के समक्ष दिनांक-21.01.2022 को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। उच्च स्तरीय समिति द्वारा सर्वसम्मति से तलपट मानचित्र का खण्ड की सत्यापन/संस्तुति व प्रस्तुत एन.ओ.सी. के आधार पर तलपट मानचित्र के ब्लॉक-ए,बी, सी एवं डी पर आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र सशर्त निर्गत करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः-

1. प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा निर्गत स्वीकृत तलपट मानचित्र पत्रांक-728/मु.वा.नि./वा.नि.-1/ले-आउट/दिनांक-15.03.2021 की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से स्थल पर किया जाना होगा।
2. ई.डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी. के निर्माण के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत विन्यास में योजना की जो 10 प्रतिशत भूमि मार्टगेज रखी गयी है वह यथावत रहेगी तथा यह मार्टगेज भूमि पार्ट कम्पलीशन ले-आउट से पृथक रहेगी।
3. विकासकर्ता द्वारा रेरा की सभी आवश्यक शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में प्रस्तावित उक्त पार्ट कम्पलीशन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित पार्ट कम्पलीशन प्लान में मार्टगेज भूमि के साथ लगे भूखण्डों की पंक्ती/ब्लॉकों को कम्पलीशन से पृथक रखा गया है जो निम्न हैः-
   - भूखण्ड संख्या-सी-17 से सी-24 तक।
   - सी-30 से सी-33 तक।
   - कॉम-1 से कॉम-4 तक एवं कॉम-28 ।

क्रमशः अगले पृष्ठ पर....

5. उक्त पूरी परियोजना के सापेक्ष पूर्णता प्रमाण पत्र लेने से पूर्व आपको योजनान्तर्गत अथवा 05 कि.मी. अर्धव्यास के अंदर उक्त परियोजना में प्रस्तावित कुल आवासीय भूखण्डों के सापेक्ष 10 प्रतिशत ई.डब्लू.एस एवं 10 प्रतिशत एल.आई.जी. का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
6. आवंटन की शर्तों का अनुपालन, क्रियान्वन निर्माण विकास एवं अनुरक्षण कार्यों में सुनिश्चित किया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन आवंटी द्वारा करना होगा।
7. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके पोषण की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करनी होगी।

संलग्नकः-आंशिक पूर्णता मानचित्र का एक सेट।

भवदीय
28/01/2022

(अजित कुमार दुबे)
मुख्य वास्तुविद् नियोजक

पृ.सं.-................/उक्त/तद्दिनांक-............./......./2022

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को आंशिक पूर्णता मानचित्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता आगरा वृत्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, आगरा।
2. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड आगरा-01, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सिकन्दरा योजना आगरा को उक्त शर्तों के क्रम में स्थल पर क्रियान्वन/अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, सिकन्दरा योजना, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त मार्टगेज भूमि के सापेक्ष बंधक पत्र सुनिश्चित करा लें।

मुख्य वास्तुविद् नियोजक